फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर
सरकार बनाम अमृतपाल सिंह वगैरह
किस्म मुकदमा :– 136 एल0आर0ए0 प्रकरण संख्या :– 19/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की तामील जारी हुए
07.08.2020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। तहसीलदार सूरतगढ़ ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि चक 16 एस0टी0बी0 की जमाबन्दी सम्वत् 20171 ता 74 की खाता संख्या 4 नया 5 पुराना में अंकित प0नं0 43/321 (37) कि0नं0 9/0.253, 10/0.253, 11/1/0.127, 16/0.253 (नहरी 0.215 व गै0मु0रास्ता 0.038) व 17/0.253 कुल 1.139 है0 (गै0मु0रास्ता 0.038 व 1.101 है0 नहरी) खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 अमृतपाल सिंह पुत्र हरबंस सिह व अप्रार्थी संख्या 2 गुरमीतसिंह पुत्र बोहड़ सिंह के नाम से 1.644 है0 हिस्सा बहिब, अप्रार्थी संख्या 3 तारा सिंह वल्द बिशनसिंह के नाम से 0.506 है0 अप्रार्थी संख्या 4 जगरूप सिंह वल्द बिशनसिंह के नाम से 0.0216 है0 व अप्रार्थी संख्या 5 सुखदेवसिंह वल्द मेजर सिंह के नाम से 0.101 है0 दर्ज रिकार्ड है। उक्त अंकित खातेदारान जिनका जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 में नाम दर्ज है के हिस्सा को जोड़ करने पर कुल भूमि 2.277 है0 हिस्सा बनती है, जबकि जमाबंदी के कॉलम संख्या 6 में अंकित खाता की कुल भूमि का क्षेत्रफल 1.139 है0 नहरी मय गै0मु0रास्ता दर्ज है। उक्त भूमि का इंतकाल सं. 188 दिनांक 29.05.2008 को दर्ज करने से पूर्व उक्त भूमि का कुल योग 2.277 है0 था, यह इन्तकाल इस खाता की कुल भूमि में से 1.138 है0 भूमि इन्ट भट्ठा के नाम से दर्ज करना था, जो दर्ज किये जाने के बाद खाता का कुल योग 1.139 है0 शेष बचा था। जिसका अंकन आज तक जमाबंदी की कॉलम संख्या 4 में अंकन अमृतपाल सिंह वल्द हरबंससिंह, गुरमीतसिंह वल्द बोहड़सिंह ब0हि0ब0 1.644 है0 तारासिंह 0.506 है0, जगरूपसिंह 0.026 है0 पि0 बिशनसिंह, सुखदेव सिंह वल्द मेजरसिंह 0.101 है0 जाति जटसिख सा0 3 एल0एल0पी0 खातेदार शेष खाता बदस्तुर अंकित किया जो कि गलत अंकित किया गया है। भूमि इन्ट भट्ठा सिंचाई विभाग सूरतगढ़ के नाम से अंकित किये जाने के बाद खाता के कुल योग से तो भूमि का क्षेत्रफल कम कर दिया गया परन्तु अप्रार्थीगण के हिस्सा में से भूमि का योग बदस्तुर जमाबंदी कर दिया गया, इस वजह से जमाबंदी के कॉलम सं. में अंकित हिस्साकस्सी व जमाबंदी के कॉलम सं. 6 में अंकित क्षेत्रफल से मिलान नही खाता है। इस कारण यह खाता अपवादित है। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार तहसील स्तर पर सेग्रीगेशन व डीआईएलआरएमपी के कार्यवाही के दौरान खातों का मिलान करते वक्त उक्त जैरवाद खाता अपवादित पाया गया। जमाबंदी के अवलोकन करने पर स्पष्ट हुआ कि उक्त खाता की भूमि में अप्रार्थीगण के नाम सहवन से हिस्सा कस्सी गलत दर्ज हो गई है जबकि उक्त हिस्सा व रकबा मिलान नही हो पा रहा है। उक्त भूमि की जमाबंदी की कॉलम संख्या 4 में अंकित खातेदारो के हिस्सा जिसमें अमृतपाल सिंह पुत्र हरबंससिंह व गुरमीतसिंह पुत्र बोहड़सिंह जाति जटसिख के नाम से वर्तमान में अंकित 1.644 है0 हिस्सा भूमि को कलमजन कर 0.506 है0 हिस्सा अंकित किये जाने से जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 में अंकित खातेदारों के हिस्सा व योग व जमाबंदी के कॉलम संख्या 6 में अंकित कुल क्षेत्रफल का योग बराबर हो जावेगा। इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 16 एस0टी0बी0 की जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 की खाता संख्या 4 नया 5 पुराना में अंकित खाता की कुल 1.139 है0 (0.038 है0 गै0मु0 रास्ता, 1.101 है0 नहरी) खातेदारी कृषि भूमि की हिस्सा कस्सी में अमृतपाल सिंह पुत्र हरबन्ससिंह व गुरमीतसिंह पुत्र बोहड़सिंह के अंकित हिस्सा 1.644 है0 के स्थान पर 0.506 है0 हिस्सा ब0हि0ब0 दर्ज करने के आदेश फरमावें। पत्रावली प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 व 7 बावजूद सूचना हाजिर नही आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3, 5 ने स्वयं उपस्थित आकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की सहमति दी है। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:03:30 IST
Reason: SelfAttested

सरकार बनाम अमृतपाल सिंह वगैरह
प्रकरण संख्या :— 19/2020

19/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.08.2020	उभय पक्ष की बहस दिनांक 05.08.2020 को सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। चक 16 एस0टी0बी0 तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071 ता 74 की खाता संख्या 4 नया 5 पुराना के कॉलम सं0 4 में अंकित काश्तकारान के हिस्सो का जोड़ करने पर कुल भूमि 2.277 है0 बनती है जबकि कॉलम सं0 6 में अंकित खाता की कुल भूमि का क्षेत्रफल 1.139 है0 बनता है। जो कि 1.138 है0 ज्यादा अंकित है। इंतकाल संख्या 188 दिनांक 29.05.2008 अनुसार इस खाता की कुल भूमि में से 1.138 है0 रकबा ईन्ट भट्ठा के नाम दर्ज करने के पश्चात् खाता का कुल योग 1.139 है0 रकबा शेष था। जो कि कॉलम संख्या 6 में रकबा सही है, किन्तु कॉलम सं0 4 में काश्तकारो का हिस्सा गलत चला आ रहा है। कॉलम सं0 4 में अंकित खातेदारों के हिस्सा अमृतपालसिंह पुत्र हरबंससिंह व गुरमीतसिंह के नाम से अंकित 1.644 है0 हिस्सा भूमि को कलमजन कर 0.506 है0 हिस्सा भूमि अंकित किये जाने से उक्त खाता दुरस्त हो जावेगा। अमृतपालसिंह पुत्र हरबंससिंह व गुरमीतसिंह पुत्र बोहड़सिंह अकवाम जटसिख ने 100/— स्टाम्प पर सहमति पत्र भी दिया है तथा जवाब में भी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की सहमति दी है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 16 एस0टी0बी0 तहसील सूरतगढ़ की जमाबंदी सम्वत् 2071 ता 74 के खाता संख्या 4 नया 5 पुराना में कॉलम सं. 4 में अमृतपालसिंह वल्द हरबंशसिंह, गुरमीतसिंह वल्द बोहड़सिंह बहिब 1.644 है0 को दुरस्त किया जाकर इसके स्थान पर अमृतपालसिंह वल्द हरबंशसिंह, गुरमीतसिंह वल्द बोहड़सिंह ब0हि0ब0 0.506 है0 किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। रहन का नोट सम्बन्धित काश्तकार के पक्ष में पूर्ववत रहेगा। तहसीलदार सूरतगढ़ के नाम तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मनोज कुमार मीणा) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.12 17:03:30 IST
Reason: SelfAttested